



Neutral Citation No. - 2026:AHC:124840

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

अपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या - **18068 वर्ष 2026**

सोनू उर्फ देवेन्द्र कुमार

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता: शिवाकांत

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता: जी.ए.

न्यायालय संख्या - 5

माननीय न्यायमूर्ति जितेन्द्र कुमार सिन्हा

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री शिवाकांत और राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री मनोज गौतम को सुना गया तथा अभिलेख का परिशीलन किया गया।
2. वर्तमान जमानत आवेदन विचारण के लंबित रहने के दौरान थाना कोतवाली, जिला फतेहपुर से संबंधित वाद अपराध संख्या- 77 वर्ष 2026, अंतर्गत धारा 108 बी.एन.एस. में आवेदक को जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ दाखिल किया गया है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि आवेदक को वर्तमान मामले में झूठा फंसाया गया है, यद्यपि उनके विरुद्ध कोई आपत्तिजनक सामग्री नहीं है। यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि समान स्थिति वाले सह-अभियुक्तों पप्पू उर्फ दिलीप त्रिवेदी, शुभम कुमार कश्यप और संजय सिंह को इस न्यायालय की समन्वय पीठों द्वारा अपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या- 15177 वर्ष 2026, 16503 वर्ष 2026 और 16707 वर्ष 2026 में पारित आदेश क्रमशः दिनांक 05.05.2026, 14.05.2026 और 18.05.2026 के माध्यम से पहले ही जमानत दी जा चुकी है। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार, मृतक ने आत्महत्या की है और पांच व्यक्तियों को अभियुक्त बनाया गया है। यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि मृतक के सुसाइड नोट में कहा गया है कि मृतक को व्यवसाय में घाटा हुआ था और सह-अभियुक्तों पर उसकी बकाया राशि थी तथा आवेदक व अन्य सह-अभियुक्तों ने उसे जबरन वसूली के माध्यम से उक्त राशि वसूलने की धमकी दी थी। यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि इस मामले में आरोप पत्र पहले ही प्रस्तुत किया जा चुका है। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक का कोई अपराधिक इतिहास नहीं है और आवेदक दिनांक 12.03.2026 से जेल में निरुद्ध है, यदि उसे जमानत दी जाती है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और विचारण की कार्यवाही में सहयोग करेगा।
4. इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत की प्रार्थना का कड़ा विरोध किया है और उनके द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है कि मृतक ने अपने सुसाइड नोट में स्पष्ट रूप से कहा है कि

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



आवेदक ने बकाया राशि की वसूली के लिए उसे एससी/एसटी अधिनियम के तहत झूठे मामले में फंसाने की धमकी दी थी।

5. समान स्थिति वाले सह-अभियुक्तों पप्पू उर्फ दिलीप त्रिवेदी, शुभम कुमार कश्यप और संजय सिंह को इस न्यायालय की समन्वय पीठों द्वारा आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या- 15177 वर्ष 2026, 16503 वर्ष 2026 और 16707 वर्ष 2026 में पारित आदेश क्रमशः दिनांक 05.05.2026, 14.05.2026 और 18.05.2026 के माध्यम से पहले ही जमानत दी जा चुकी है। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार, मृतक द्वारा आत्महत्या किए जाने की बात कही गई है और आवेदक सहित पांच व्यक्तियों को अभियुक्त बनाया गया है तथा मृतक के सुसाइड नोट में उल्लेख है कि उसे व्यापार में घाटा हुआ था और सह-अभियुक्तों पर उसकी बकाया राशि थी तथा आवेदक ने अन्य सह-अभियुक्तों के साथ मिलकर उसे जबरन तरीकों से उक्त राशि वसूलने की धमकी दी थी। इस मामले में आरोप पत्र पहले ही दाखिल किया जा चुका है। यह कहा गया है कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वह दिनांक 12.03.2026 से जेल में बंद है, मृतक द्वारा आत्महत्या करना बताया गया है और आवेदक सहित पांच व्यक्तियों को अभियुक्त बनाया गया है।

6. मामले के संपूर्ण तथ्यों और परिस्थितियों, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार करते हुए और अपराध की प्रकृति, साक्ष्य, अभियुक्त की संलिप्तता को ध्यान में रखते हुए तथा जेलों में अत्यधिक भीड़ व विचारण न्यायालयों के समक्ष आपराधिक मामलों के भारी लंबित होने को संज्ञान में लेते हुए, साथ ही जमानत देने के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कपिल वधवान बनाम केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, 2025 एससीसी ऑनलाइन एससी 3038 में पारित निर्णय के अधिदेश और इस न्यायालय द्वारा माया तिवारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, 2024 एससीसी ऑनलाइन ऑल 6765 के मामले में दिए गए दिशानिर्देशों पर विचार करते हुए और मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मेरा यह मत है कि आवेदक जमानत पर रिहा होने का हकदार है।

7. तदनुसार, वर्तमान आवेदन स्वीकार किया जाता है।

8. उपरोक्त अपराध में शामिल आवेदक- सोनू उर्फ देवेन्द्र कुमार को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार एक व्यक्तिगत बंधपत्र और समान राशि के दो प्रतिभुओं को प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए:-

(i) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा जिससे कि वह ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से विमुख हो या साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ करे।

(ii) आवेदक बिना किसी स्थगन की मांग किए विचारण/विवेचना में निष्ठापूर्वक सहयोग करेगा।

(iii) आवेदक जमानत पर रिहा होने के बाद किसी भी आपराधिक गतिविधि या किसी अपराध को कारित करने में शामिल नहीं होगा।

(iv) आवेदक उसके द्वारा निष्पादित बंधपत्र की शर्तों के अनुसार न्यायालय में उपस्थित होगा।

9. उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त के उल्लंघन के मामले में, यह जमानत रद्द करने का आधार होगा।

10. बंधपत्र स्वीकार किए जाने से पहले संबंधित न्यायालय द्वारा आवेदक और प्रतिभुओं की पहचान, स्थिति और निवास के प्रमाण का सत्यापन किया जाए। आवेदक के साथ-साथ प्रतिभुओं के मोबाइल नंबर और आधार कार्ड का सत्यापन संबंधित न्यायालय द्वारा किया जाना चाहिए।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



11. यह भी निर्देशित किया जाता है कि विचारण न्यायालय आवेदक की शीघ्र रिहाई सुनिश्चित करने के लिए जमानत आदेश प्रबंधन प्रणाली (बीओएमएस) के माध्यम से संबंधित जेल को रिहाई आदेश भेजेगा।

12. कार्यालय को निर्देशित किया जाता है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पॉलिसी स्ट्रैटेजी फॉर ग्रांट ऑफ बेल, स्वतः संज्ञान रिट याचिका (आपराधिक) संख्या 4 वर्ष 2021, (2024) 10 एससी 685 जो 31.01.2023 को निर्णीत हुआ, के मामले में दिए गए आदेश के अनुपालन में इस आदेश की एक प्रति कारागार अधीक्षक, फतेहपुर के माध्यम से ई-मेल या ई-प्रिजन पोर्टल द्वारा 24 घंटे के भीतर आवेदक को भेजी जाए।

(माननीय न्यायमूर्ति जितेन्द्र कुमार सिन्हा)

3 जून, 2026

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"